राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2801/2025

महेश चन्द गोयल –अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जमालपुर जिला करौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.05.2025
आदेश की दिनांक : 09.06.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री के.सी. शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :–चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी की नियुक्ति अध्यापक के पद पर दिनांक 06.12.1974 को हुई थी। अपीलार्थी द्वारा 27 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने के उपरान्त अपीलार्थी तृतीय एसीपी का लाभ दिनांक 01.09.2006 से ग्रेड–पे 4800/– पे–बेण्ड–2 का वेतन प्राप्त करने का अधिकारी हो गया था, परन्तु नियन्त्रण अधिकारी बीईईओ, हिण्डोन जिला करौली एवं जिला शिक्षा अधिकारी ने अपीलार्थी की ग्रेड–पे 4800/– में वेतन स्थिरीकरण नहीं किया गया। इस संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिसके संबंध में अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 671/2014 दायर की। माननीय अधिकरण के निर्णय दिनांक 03.05.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन के निस्तारण करने के निर्देश दिये गये। अपीलार्थी ने अधिकरण के निर्णयानुसार प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को ग्रेड–पे 4800/– में फिक्स कर वेतन एरियर

का भुगतान कर दिया गया। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के एरियर का भुगतान सेवानिवृति के दस वर्ष पश्चात् किया गया। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 20.02.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर वेतन एरियर भुगतान में हुई देरी बाबत् 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करने का निवेदन किया गया। जिस पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। उनका कथन है कि उक्त देरी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा की गई है, जिसके लिए अपीलार्थी उत्तरदायी नहीं है। राजस्थान सरकार द्वारा पेंशन व अन्य एरियर भुगतान में देरी होने पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करने का परिपत्र जारी किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को एरियर भुगतान में हुई 10 वर्ष की देरी पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान किया जावे एवं अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर किया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के

लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य